

## छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 28 सन् 2002)

### छत्तीसगढ़ चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश अधिनियम, 2002

छत्तीसगढ़ में स्थित चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश को विनियमित करने के लिये अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ.

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश अधिनियम, 2002 (क्र. 28 सन् 2002) होगा,
- 2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिये होगा,
- (3) यह छत्तीसगढ़ के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

अभिव्यक्ति "राज्य सरकार" में 1 नवम्बर, 2000 के पूर्व विद्यमान राज्य सरकार सम्मिलित होना.

2. अभिव्यक्ति "राज्य सरकार" में, 1 नवंबर, 2000 के पूर्व विद्यमान राज्य सरकार, उस क्षेत्र के संबंध में जो छत्तीसगढ़ राज्य में सम्मिलित विद्यमान क्षेत्र हो, सम्मिलित है तथा सदैव सम्मिलित समझा जायेगा.

छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश राज्य शासन द्वारा बनाए गए नियमों से विनियमित होना.

3. छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश राज्य शासन द्वारा बनाए गए नियमों से विनियमित किया जायेगा.

नियम बनाने की शक्ति.

4. 1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकार समय-समय पर नियम बना सकेगी तथा बनाए गए नियमों को समय-समय पर संशोधित भी कर सकेगी,

इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे.

व्यावृत्ति.

5. (1) छत्तीसगढ़ मेडिकल स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा नियम, 2002 इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम माने जायेंगे,

इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व छत्तीसगढ़ मेडिकल स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा नियम, 2002 के अंतर्गत की गई समस्त कार्रवाई तथा किये गये समस्त कृत्य भी इस अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्रवाई और किये गये कृत्य समझे जायेंगे.

रायपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2002

क्रमांक 6829.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश, अधिनियम, 2002 (क्र. 28 सन् 2002) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. बी. वाजपेयी, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ADHINIYAM  
(No. 28 of 2002)

CHHATTISGARH CHIKITSA MAHAVIDYALAYON KE SNATKOTTAR  
PATHYAKRMON MAIN PRAVESH ADHINIYAM, 2002

**An Act to regulate admission to Postgraduate Medical courses in the Medical Colleges of Chhattisgarh.**

Be it enacted by the Chhattisgarh Vidhan Mandal in the Fifty-third Year of the Republic of India as follows :—

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| (1) | This Act may be called the "Chhattisgarh Chikitsa Mahavidyalayon Ke Snatkottar Pathykrmon Main Pravesh Adhinyam, 2002 (No. 28 of 2002), "   | Short Title, Extent and Commencement.  |
| (2) | It shall extend to the whole of Chhattisgarh,   |  |
| (3) | It shall come into force in the official gazette of Chhattisgarh.   |  |
| 2.  | The expression "State Government" shall include, and be deemed to have always included, the State Government as it preexisted prior to 1st November, 2000 in relation to area now comprised in the State of Chhattisgarh. | The expression "State Government" to include, the State Government as it preexisted prior to 1st November, 2000.                     |
| 3.  | The admission to Postgraduate courses in the Medical Colleges of Chhattisgarh shall be regulated by rules made by the State Government.   | The admission to Postgraduate courses in the Medical Colleges of Chhattisgarh to be regulated by rules made by the State Government. |
| 4.  | (1) The State Government may make rules from time to time to carry out the purposes of this Act, and may also amend such rules from time to time,   | Powers to make rules.  |
|     | (2) All the rules made under this Act shall be laid on the table of the Vidhan Sabha.   |  |

**Savings.**

5. The Chhattisgarh Medical Snatkottar Pravesh Preeksha Niyam, 2002, shall be deemed to be rules made by the State Government under this Act.
- (2) All actions taken and acts done under the Chhattigarh Medical Snatkottar Pravesh Pareeksha Niyam, 2002 even before the commencement of this Act shall be deemed to be actions taken and acts done under this Act.